

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 1361 / 2011)

(संस्थित दिनांक :- 07 / 12 / 11)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. रामकुमार पुत्र सूरजभान सिंह उर्फ पप्पू घुरैया, उम्र 27 वर्ष।

निवासी :- ग्राम पारसेन, थाना :- बिजौली, जिला : ग्वालियर (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

( आज दिनांक :- 12 / 12 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी रामकुमार पर धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 17 / 07 / 2011 को शाम लगभग 06:00 बजे मौ से गोहद रोड़ जीरो रोड़ तिराहा पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक माउजर का कट्टा एवं एक माउजर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 17 / 07 / 2011 को थाना मौ के एसआई राजवीर शर्मा इलाका गश्त हेतु आरक्षक क्रमांक 551 सुनील के साथ रवाना होकर ग्राम उझावल के पास पहुँचे, तभी जरिये मुखबिर फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जीरो रोड़ तिराहे पर एक व्यक्ति अपराध करने की नियत से कट्टा लिये घूम रहा है, मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचने पर जीरो रोड़ तिराहे पर एक व्यक्ति पुलिया पर बैठा दिखा, जो पुलिस को देखकर जीरो रोड़ पर धीरे-धीरे चलने लगा। तब उक्त व्यक्ति को हमराही आरक्षक के साथ घेरकर पकड़ा। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी की कमर में बाईं तरफ एक माउजर का कट्टा रखा मिला एवं दाहिने तरफ पेंट की जैब में एक माउजर का कारतूस रखा मिला। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम रामकुमार पुत्र सूरज भान सिंह उर्फ पप्पू घुरैया उम्र 21 वर्ष, निवासी : पारसेन (पासड़), थाना :- बिजौली का होना बताया। आरोपी से कट्टा एवं कारतूस रखने का लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 25/27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से आरोपी से उक्त कट्टा एवं कारतूस को साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी रामकुमार को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी को मय माल मुल्जिम थाना वापस लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/2011 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरक्षक सुनील शर्मा एवं साक्षी कमलेश दीक्षित के कथन लेखबद्ध किये गये। जवाशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण आयुध परीक्षक द्वारा कराया गया। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त रामकुमार के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी रामकुमार ने दिनांक :- 17/07/2011 को शाम लगभग 06:00 बजे मौ से गोहद रोड़ जीरो रोड़ तिराहा पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक माउजर का कट्टा एवं एक माउजर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी एसआई राजवीर अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि दिनांक : 17/07/2011 को थाना मौ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि उसी दिनांक को दौराने इलाका गश्त जरिये मुखबिर सूचना मिली कि जीरो रोड़ पर एक व्यक्ति अवैध रूप से कट्टा लिये कोई अपराध करने खड़ा है। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु उसके द्वारा हमराही आरक्षक सुनील शर्मा को ले जाकर मौका पर गया तो एक जीरो रोड़ के पास पुलिया पर एक आदमी दिखा, जो मुखबिर के बताये अनुसार हुलिया का था। साक्षी आगे कहता है कि वह पुलिस को देखकर चलने लगा, जिसे पकड़कर उसकी जामा तलाशी ली, तो उसकी कमर में बाईं तरफ माउजर का कट्टा एवं पेंट की जेब से एक

माउजर का जिंदा राउण्ड मिला। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से कट्टा एवं कारतूस रखने का लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम रामकुमार पुत्र सूरजभान घुरैया, निवासी :- ग्राम पारसेन, थाना :- बिजौली का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी का उक्त अपराध की श्रेणी में आने से उसके द्वारा आरोपी से साक्षीगण के समक्ष मौके पर ही कट्टा एवं जिंदा कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद जब्तशुदा कट्टा एवं राउण्ड को मौका पर सील्ड कर आरोपी को थाना वापस लाया था, जहाँ उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/11 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी प्रधान आरक्षक रामजीलाल को सौंप दी थी।

08. अभियोजन साक्षी सुनील शर्मा अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 17/07/2011 को झॉकरी चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह दरोगा जी के साथ में इलाके भ्रमण के लिए गया था। साक्षी आगे कहता है कि तभी दरोगा जी के पास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जीरो रोड़ पर एक कट्टा लिये घूम रहा है, तब वह दरोगा जी के साथ में वहाँ पर पहुँचे, तब एक व्यक्ति उन लोगों को देखकर दंदरौआ की तरफ चलने लगा, तब उसने रोका तो वह तेजी से चलने लगा। साक्षी आगे कहता है कि वह लोग मोटर साईकिल से थे, उसने आरोपी को पकड़ा था। दरोगा जी ने उसके सामने आरोपी की तलाशी ली थी, तो एक कट्टा उसकी बाईं तरफ और एक जिंदा कारतूस भी मिला। साक्षी आगे कहता है कि दरोगा जी ने उसके सामने माउजर एवं राउण्ड जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी रामकुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में राजवीर अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि दिनांक : 17/07/2011 को वह मौ थाने में पदस्थ था और इलाका भ्रमण के लिए वह मौ थाने से गया था। जबकि हमराह साक्षी सुनील अ.सा.04 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि वह दिनांक : 17/07/2011 को थाना मौ की चौकी झॉकरी में पदस्थ था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में सुनील अ.सा.04 का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था कि वह दिनांक : 17/07/2011 को थाना मौ में पदस्थ हो। इसी पद क्रमांक में आगे उसका कहना है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.01 में ऐसा नहीं बताया था कि वह मौ थाने में पदस्थ था, कैसे लिख लिया गया कारण

नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 ए से ए भाग में इस तथ्य का उल्लेख है कि आरक्षक सुनील थाना मौ पर आरक्षक के पद पर पदस्थ है। इस प्रकार दिनांक : 17/07/2011 को आरक्षक सुनील थाना मौ पर पदस्थ था, अथवा चौकी झाँकरी में पदस्थ था, इस वावत् सुनील अ.सा.04 एवं राजवीर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं सुनील के पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार हमराह बताये गये राजवीर अ.सा.05 एवं सुनील अ.सा.04 घटना दिनांक :- 17/07/2011 को अलग-अलग स्थानों पर पदस्थ थे, ऐसी दशा में उनका एक साथ इलाका गश्त पर जाना संभव प्रतीत नहीं होता है और यदि वह एक साथ इलाका गश्त पर गये भी हो तो इस वावत् कोई खानगी रोजनामचा सान्हा की प्रमाणित प्रतिलिपि या सत्यप्रति या मूल खानगी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही राजवीर अ.सा.05 अथवा सुनील अ.सा.04 द्वारा ऐसा उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित किया गया है कि उनके या उनमें से किसी एक के द्वारा इस वावत् कोई एक खानगी रोजनामचा सान्हा लेखबद्ध किया गया था।

10. सुनील अ.सा.04 द्वारा उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया गया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उस दिन अर्थात् घटना दिनांक : 17/07/2011 को वह दरोगा जी अर्थात् राजवीर अ.सा.05 के साथ गुहीसर से वापस आ रहा हो। जबकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वापसी रोजनामचा सान्हा की सत्य प्रति प्र.पी.06 में यह उल्लेखित है कि सुनील एवं राजवीर इलाका गश्त करते हुये ग्राम गुहीसर से वापस आ रहे थे, तब उन्हें ग्राम उझावल के पास आरोपी के जीरो रोड़ पर हथियारबंद खड़े होने की सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। इस प्रकार राजवीर एवं सुनील के एक साथ खाना होने एवं उनके इलाका गश्त के दौरान ग्राम गुहीसर से वापस लौट रहे होने के संबंध में सुनील अ.सा.04 एवं राजवीर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं वापसी रोजनामचा सान्हा की सत्य प्रति प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि आरोपित घटना के समय सुनील एवं राजवीर के एक साथ होने अथवा उनके आरोपित घटनास्थल पर उपस्थित होने के तथ्य को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में राजवीर अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि मुखबिर ने सूचना उसे कितने बजे दी थी और वह कितने बजे जीरो रोड़ पर आ गया था। सुनील अ.सा.04 ने भी प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि वह निश्चित नहीं बता सकता कि वह जीरो रोड़ पर कितने बजे पहुँच गया था। जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता राजवीर अ.सा.05 का मुखबिर की सूचना प्राप्त होने का समय एवं घटनास्थल जीरो रोड़ पर आने का समय तथा हमराह साक्षी सुनील अ.सा.04 का घटनास्थल जीरो रोड़ पर पहुँचने का समय दर्शित ना कर पाना उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सत्यता को संदेहास्पद बनाते है।

12. मुख्य परीक्षण में राजवीर अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि उसने जब्तशुदा कट्टा एवं राउण्ड को मौके पर ही सीलबंद किया था। जबकि जब्ती पत्रक

प्र.पी.02 पर इस वावत् कोई नमूना सील अंकित नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि हमराह साक्षी सुनील शर्मा अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि कट्टा जब्त करने के पश्चात् सीलबंद किया गया था, अथवा नहीं। इस प्रकार कथित रूप से आरोपी से कट्टा जब्त किये जाने के पश्चात् घटनास्थल पर ही उसके सीलबंद किये जाने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य संदेहास्पद है और संदेह कभी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

13. साक्षी कमलेश दीक्षित अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि वह रामकुमार नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 03/03/2014 से लगभग दो वर्ष पूर्व झॉकरी चौकी की पुलिस झॉकरी चौकी पर एक कट्टे का नक्शा बना रही थी और वह उस समय चौकी झॉकरी पर लगे हुये हैण्डपम्प पर पानी भरने गया हुआ था, तभी पुलिस ने उससे कट्टे के नक्शे पर यह कहते हुये हस्ताक्षर कराये थे कि यह कट्टा अपराध में जब्त हुआ है, इसलिए उसने नक्शे वाले कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे। कट्टा किससे जब्त हुआ इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जब्ती पत्रक प्र.पी.02 पर कट्टा का कोई नक्शा अथवा अक्श नहीं बना हुआ है। द्वितीयतः यह साक्षी जब्ती पत्रक प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर कथित घटनास्थल जीरों रोड़ पर करना ना बताकर चौकी झॉकरी पर करना बता रहा है, जबकि अभियोजन कथा के अनुसार जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर साक्षी कमलेश दीक्षित अ.सा.02 के हस्ताक्षर घटनास्थल जीरों रोड़ मौ पर कराये गये थे। उल्लेखनीय यह भी है कि अभियोजन कथा के अनुसार आरोपित घटना का थाना मौ की चौकी झॉकरी से कोई संबंध नहीं है। ऐसी दशा में कमलेश अ.सा.02 के हस्ताक्षर चौकी झॉकरी पर क्यों कराये गये, इस वावत् जब्तीकर्ता राजवीर अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य मौन है। जब्ती एवं गिरफ्तारी का कथित साक्षी कमलेश दीक्षित अ.सा.02 कथित घटनास्थल जीरों रोड़ मौ पर आरोपित घटना के समय उपस्थित था, अथवा नहीं, इस वावत् कमलेश दीक्षित अ.सा.02, सुनील अ.सा.04 एवं राजवीर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

14. अभियोजन साक्षी सुरेश दुबे अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 24/07/2011 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना मौ के अपराध क्रमांक 145/11 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जब्तशुदा एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर के जिंदा कारतूस की जाँच उसके द्वारा की गई थी। जाँच के दौरान कट्टा का एक्शन सही पाया, कट्टा चालू हालत में था एवं कट्टा से फायर किया जा सकता था। एक 315 बोर के जिंदा कारतूस की पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ लिखा था, जो चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। साक्षी आगे कहता है कि थाना मौ के आरक्षक क्रमांक 705 शिवनारायण के द्वारा कट्टा एवं कारतूस सीलबंद जाँच हेतु प्राप्त हुये थे। बाद जांच कर अपनी सील लगाकर थाना मौ वापस किया गया था। इस वावत् उसके द्वारा दी गई आयुध जाँच रिपोर्ट प्र.पी.05 है,

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी सुरेश दुबे अ.सा.03 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति-परीक्षण उपरांत भी साक्षी सुरेश दुबे अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्विक रूप से अखण्डित रहा है। साक्षी सुरेश दुबे अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि जॉचशुदा कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और जॉचशुदा जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

15. साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 24/11/2011 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 687, दिनांक : 09/08/2011 द्वारा थाना मौ के अपराध क्रमांक 145/11 से संबंधित केस डायरी एवं आयुध सील बंद प्रधान आरक्षक रामकिशोर शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर, अवलोकन करने के पश्चात् अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त रामकुमार पुत्र सूरजभान के आधिपत्य से एक माउजर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी, उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र. पी.01, जिसके ए से ए भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर एवं बी से बी भाग पर तत्कालीन जिलादण्डाधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने श्री अखिलेश श्रीवास्तव के अधीनस्थ के रूप में कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है। साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। योगेन्द्र सिंह अ. सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी रामकुमार के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रामकुमार ने दिनांक :- 17/07/2011 को शाम लगभग 06:00 बजे मौ से गोहद रोड़ जीरो रोड़ तिराहा पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक माउजर का कट्टा एवं एक माउजर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

### अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी रामकुमार के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी रामकुमार को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद